रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08012026-269214
CG-DL-E-08012026-269214

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

| | |
|---|---|
| सं. 14] | नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 8, 2026/पौष 18, 1947 |
| No. 14] | NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 8, 2026/PAUSHA 18, 1947 |


## वित्त मंत्रालय

## (राजस्व विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2026

## सं. 02/2026-सीमाशुल्क (एडीडी)

**सा.का.नि. 14(अ).—** जहां कि यूरोपीय संघ, मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "नॉर्मल ब्यूटानोल अथवा एन-ब्यूटाइल अल्कोहल" जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतद्पश्चात सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के रूप में उल्लिखित) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 2905 13 00 के अंतर्गत आता है, के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 21/2021-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 12 अप्रैल, 2021, जिसे सा.का.नि. 260(अ), दिनांक 12 अप्रैल, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (एतद्पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार

प्रारंभिककरण अधिसूचना फा. सं. 7/16/2025, दिनांक 27 सितंबर, 2025, जिसे दिनांक 27 सितंबर, 2025 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड I में प्रकाशित किया गया था, के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया है और उन्होंने उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (5) के अनुसार उक्त प्रतिपाटन शुल्क को आगे भी जारी रखने के लिए अनुरोध किया है।

अत: अब उक्त नियमावली के नियम 18 और 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 21/2021-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 12 अप्रैल, 2021, जिसे सा.का.नि. 260(अ), दिनांक 12 अप्रैल, 2021, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और आगे भी संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 के पश्चात और स्पष्टीकरण से पहले निम्नलिखित पैराग्राफ को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा :-

"3. पैराग्राफ 2 में निहित किसी भी बात के बावजूद, यह प्रतिपाटन शुल्क दिनांक 12 जुलाई, 2026 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, यदि इसके पहले इसे वापस नहीं ले लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो, लागू रहेगा।" ।

[फ. सं. सीबीआईसी-190349/53/2025-टीआरयू अनुभाग-सीबीआईसी]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

**नोट :** प्रमुख अधिसूचना संख्या 21/2021-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 12 अप्रैल, 2021, जिसे, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 260(अ), दिनांक 12 अप्रैल, 2021 के तहत प्रकाशित किया गया था।

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th January, 2026

**No. 02/2026-Customs (ADD)**

**G.S.R. 14(E).—** Whereas, the designated authority *vide* initiation Notification No. 7/16/2025-DGTR dated the 27th September 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 27th September 2025, has initiated review in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act) read with rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of "Normal Butanol or N-Butyl Alcohol" falling under tariff item 2905 13 00 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, originating in or exported from European Union, Malaysia, Singapore, South Africa and United States of America, imposed *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 21/2021-Customs (ADD), dated the 12th April 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 260(E), dated the 12th April 2021, and has requested for extension of the said anti-dumping duty in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 23 of the said rules, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 21/2021-Customs (ADD), dated the 12th April 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 260(E), dated the 12th April 2021, namely:-

In the said notification, after paragraph 2 and before the Explanation, the following paragraph shall be inserted, namely:-

"3. Notwithstanding anything contained in paragraph 2, the anti-dumping duty shall remain in force up to and inclusive of the 12th July, 2026, unless revoked, superseded or amended earlier.".

[F. No. CBIC-190349/53/2025-TRU Section-CBIC]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

**Note:** The principal notification No. 21/2021-Customs (ADD), dated the 12th April 2021, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 260(E), dated the 12th April 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA